



न्यायालय माननीय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र. केम्प उज्जैन म.प्र.  
प्रकरण क्रमांक /2014 निगरानी

1046-5/14

(मिस्टर/मिस/मैडम)  
श्री राजेश देसाई  
कानड  
19-3-14  
श्री शकुन्तला पति श्री राजेन्द्र

- 1- महेन्द्र पिता श्री शंकरलाल पालिवाल  
निवासी-कानड
- 2- आकाश पिता श्री राजेश देसाई
- 3- अय्याज खां पिता रियाज खां  
निवासीगण-आगर मालवा ---निगरानीकर्तागण  
विरुद्ध
- 1- शकुन्तला पति श्री राजेन्द्र  
निवासी-उज्जैन
- 2- मध्यप्रदेश शासन ---प्रत्यर्थीगण

18/6/14

पुनः प्र.क. 1703-I/14 में पंजित  
आदेश दिनांक 18/6/14 के अनुसार  
यह प्रकार पुनः स्थापित किया  
जाता है।

(2) आवेदक छवि. श्री वी.एस. निताडिया  
को ग्राह्यता पर सुन गया।

(3) आवेदक छवि. के नर्क पर  
विचार किया एवं आदेश  
का अवलोकन किया। आदेश  
आदेश के दिनांक से आवेदक के  
विकृत सीमांक प्रतिवेदन के अनुसार  
किसी प्रकार का आदेश पंजित  
करना नहीं पाया जाता है। ऐसी स्थिति  
में इस निगरानी को ग्राह्य किया  
जावेगा कोई कार्य नहीं है।  
परिणामतः यह निगरानी ग्राह्य  
की जाती है।

18/6/14  
Noted

V.S. S. Sachdeva Btl.

पशा. HRH.